न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– संजीव कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 416/2022

इन्द्राज पुत्र चतरूराम जाति जाट निवासी राणीसर हाल निवासी आथुणा बास हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ –वादी–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार लूनकरनसर

–प्रतिवादी–

उपस्थित :–
1 नेतराम सियाग वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता
2 पेरोकार राज

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एलआर एक्ट
–: निर्णय :–

दिनांक :– 29/09/2023

वादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रोही मौजा राणीसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 274 तादादी 12.6500 हेक्टेयर बारानी भूमि जिस पर वादी का कब्जाकाश्त है। वादी की पुरानी खातेदारी भूमि हैं। जिसमें वादी का नाम श्योकरण पुत्र चतराराम के स्थान पर इन्द्राज पुत्र चतरूराम दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम श्योकरण पुत्र चतराराम है किन्तु सभी दस्तावेजो मे वादी का नाम इन्द्राज पुत्र चतरूराम हे यदि वादी का नाम श्योकरण पुत्र चतराराम के स्थान पर इन्द्राज पुत्र चतरूराम किया जाता हे तो राजय सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही नाम शुद्ध होने से वादी को न्याय मिलेगा व सरकारी सुविधा प्राप्त कर सकता हें अलग–अलग नाम होने के कारण वादी किसी सरकारी सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकता जिससे उसे वंचित होना पड रहा है।

दिनांक 09.09.2022 को वादी द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम की दुरूस्ती की जावें तहसीलदार महोदय द्वारा कहा गया की मे आपके नाम शुद्ध नहीं कर सकता प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर वाद कारण हासिल हुआ। यही तारीख विनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत हैं।

अतः वादी वकील द्वारा निवेदन किया गया की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ विनाय की जारी फरमाई जावे कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से मौजा रोही राणीसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 274 तादादी 12.6500 हैक्टेयर बारानी भूमि स्थित है जिसमे श्योकरण पुत्र चतराराम के स्थान पर इन्द्राज पुत्र चतरूराम नाम की घोषणा करवाने का हकदार है। वादी वकील द्वारा वाद पत्र के समर्थन मे ग्राम पंचायत हरदासवाली पंचायत समिति रावतसर जिला हनुमानगढ का प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र प्रति, आधार कार्ड प्रति, स्वयं

वादी का वाद के समर्थन मे शपथ पत्र एवं चक 4 जेबीडी पटवार मण्डल हरदासवाली जमाबन्दी प्रति खाता संख्या 9 जिसमे खातेदार का नाम इन्द्राज पुत्र चतरूराम जाति जाट साकिन हरदासवाली है।

राजपैरोकार द्वारा जरिये जवाब निवेदन किया गया राजस्व रिकार्ड मे श्योकरण पुत्र चतराराम के स्थान पर इन्द्राज पुत्र चतरूराम किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो रहा है न्याय हित मे नाम शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया । वादी का ग्राम रोही मौजा राणीसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 274 तादादी 12.6500 हेक्टेयर बारानी भूमि जिस पर वादी का कब्जाकाश्त है। वादी की पुरानी खातेदारी भूमि हैं। जिसमें वादी का नाम श्योकरण पुत्र चतराराम के स्थान पर इन्द्राज पुत्र चतरूराम दर्ज करवाना चाहता है। जिसके समर्थन मे वादी वकील द्वारा ग्राम पंचायत हरदासवाली पंचायत समिति रावतसर जिला हनुमानगढ का प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र प्रति, आधार कार्ड प्रति, स्वयं वादी का वाद के समर्थन मे शपथ पत्र एवं चक 4 जेबीडी पटवार मण्डल हरदासवाली जमाबन्दी प्रति खाता संख्या 9 जिसमे खातेदार का नाम इन्द्राज पुत्र चतरूराम जाति जाट साकिन हरदासवाली की प्रतियां पेश की हैं। अतः प्रस्तुत बहस एवं दस्तावेज तथा शपथ पत्र की आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है। वादी का नाम ग्राम रोही मौजा राणीसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 274 तादादी 12.6500 हेक्टेयर बारानी भूमि जिस पर वादी का कब्जाकाश्त है। जिसमें वादी का नाम श्योकरण पुत्र चतराराम के स्थान पर इन्द्राज पुत्र चतरूराम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश रिकॉर्ड दुरूस्त करें। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर**

ब इजलास : संजीव कुमार, **आरएएस**

इन्द्राज **बनाम** सरकार

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :– 416/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादीगण श्री अजीत सिंह,** मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी का नाम ग्राम रोही मौजा राणीसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 274 तादादी 12.6500 हेक्टेयर बारानी भूमि जिस पर वादी का कब्जाकाश्त है। जिसमें वादी का नाम श्योकरण पुत्र चतराराम के स्थान पर इन्द्राज पुत्र चतरूराम के आदेश जारी हो जिसकी घोषणा की जाती हैं । तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -........................... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-........................ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 29/09/2023 को डिक्री जारी की गई।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर